न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला नीमकाथाना (राज.)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 164 / 2024 GCMS NO. 2024/359 उनवानी सुमन देवी बनाम मंजू देवी आदि अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत नाम दुरूस्ती	
024	पत्रावली पेश हुई। आवाज पर अधिवक्ता वादीया हाजिर आये। अधिवक्ता वादीया के निवेदन पर बहस अधिवक्ता वादीया सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीया की बहस पर मनन किया गया। वादीया ने हस्तगत वाद पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा है कि राजस्व ग्राम श्री मालाराम नगर पटवार हल्का रामकुमारपुरा तहसील खेतडी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 51 के खसरा नम्बर 716 रकबा 0.55 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 717 रकबा 0.30 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 718 रकबा 0.29 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.14 हेक्टेयर में दर्ज वादीया का नाम धोली देवी पत्नी राजवीर हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीया का नाम सुमन देवी पत्नी राजवीर गूर्जर घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र दिनांक 24.03.2009 के अवलोकन से पाया कि वादग्रस्त भूमि में वादीया एक क्रेता है। वादीया का नाम वादग्रस्त भूमि में क्रेता (पंजीकृत दस्तावेज) के आधार पर जरिये नामान्तरकरण के दर्ज हुआ है। जिसमें उक्त न्यायालय किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाता है। लिहाजा –: आदेश :– अतः वादीया का हस्तगत वाद पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना– अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बन्शी धर योगी) उपखण्ड अधिकारी खेतडी उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला- नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Veri

Digitally signed by Ban
Date: 2024.12.09 17:38
Reason: SelfAttested